न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/131 दायरा दिनांक : 01.08.2022

उनवान

1– नसीर मोहम्मद पुत्र श्री बशीर मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी भवानीमण्डी, (मृतक) जर्ये कायम मुकामान :–

1/1– अन्सार मोहम्मद पुत्र नसीर मोहम्मद

1/2– मोहम्मद इस्हाक पुत्र नसीर मोहम्मद

1/3– मोहम्मद हनीफ पुत्र नसीर मोहम्मद

1/4– वसीम पुत्र नसीर मोहम्मद

1/5– हेमत बी पुत्री नसीर मोहम्मद

अकवाम जाति मुसलमान, निवासीगण भवानीमण्डी, जिला झालावाड

2– शब्बीर मोहम्मद पुत्र श्री बशीर मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी भवानीमण्डी, कोटा (मृतक) जर्ये कायम मुकामान :–

2/1– शरीफ मोहम्मद पुत्र शब्बीर मोहम्मद

2/2– अल्ताफ मोहम्मद पुत्र शब्बीर मोहम्मद

2/3– मेहफुजा बानो पुत्री शब्बीर मोहम्मद

2/4– नकसूदा पुत्री शब्बीर मोहम्मद

2/5– नजमा बानो पुत्री शब्बीर मोहम्मद

2/6– परवीन बानो पुत्री शब्बीर मोहम्मद

अकवाम जाति मुसलमान, निवासीगण भवानीमण्डी, जिला झालावाड

3– अब्दुल गफ्फार पुत्र श्री बशीर मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी भवानीमण्डी, जिला झालावाड

4– अब्दुल सत्तार पुत्र श्री बशीर मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी भवानीमण्डी, (मृतक) जर्ये कायम मुकामान :–

4/1– साबिर हुसैन पुत्र अब्दुल सत्तार

4/2– हबीब चौधरी पुत्र अब्दुल सत्तार

4/3– वीना बानो पुत्री अब्दुल सत्तार

4/4– शहनाज बानो पुत्री अब्दुल सत्तार

4/5– सितारा बानो पुत्री अब्दुल सत्तार

4/6– फिरोजा बानो पुत्री अब्दुल सत्तार

4/7– तब्बसूम पुत्री अब्दुल सत्तार

4/8– मुन्नी पुत्री अब्दुल सत्तार

5– जहीरा मोहम्मद पुत्र श्री बशीर मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी भवानीमण्डी

6– रूस्तम मोहम्मद पुत्र श्री बशीर मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी भवानीमण्डी

7– जहूर मोहम्मद पुत्र श्री मोहम्मद नजीर, जाति मुसलमान, निवासी भवानीमण्डी

8– जमील अहमद पुत्र श्री मोहम्मद नजीर, जाति मुसलमान, निवासी भवानीमण्डी

9– शकील पुत्र श्री मोहम्मद नजीर, जाति मुसलमान, निवासी भवानीमण्डी

10– मंजूर आलम पुत्र श्री मोहम्मद नजीर, जाति मुसलमान, निवासी भवानीमण्डी

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

11– नसीफ आलम पुत्र श्री मोहम्मद नजीर, जाति मुसलमान, निवासी भवानीमण्डी
12– फरीद अहमद पुत्र श्री मोहम्मद नजीर, जाति मुसलमान, निवासी भवानीमण्डी
13– अनीसा पुत्री श्री मोहम्मद नजीर, जाति मुसलमान, निवासी भवानीमण्डी
14– नफीसा पुत्री श्री मोहम्मद नजीर, जाति मुसलमान, निवासी भवानीमण्डी
15– रेहाना पुत्री श्री मोहम्मद नजीर, जाति मुसलमान, निवासी भवानीमण्डी

.... अपीलांट

बनाम

1– रफीक मोहम्मद पुत्र श्री बशीर मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी भवानीमण्डी, (मृतक) जर्ये कायम मुकामान :–
1/1– मोहम्मद जुनेज पुत्र रफीक मोहम्मद
1/2– मोहम्मद अवेस पुत्र रफीक मोहम्मद
1/3– मोहम्मद आसिफ पुत्र रफीक मोहम्मद
1/4– हीना पुत्री रफीक मोहम्मद
1/5– हनीफा पुत्री रफीक मोहम्मद
अकवाम जाति मुसलमान, निवासीगण भवानीमण्डी, जिला झालावाड
2– अब्दुल कय्यूम आत्मज मोहम्मद अय्यूब, जाति मुसलमान, निवासी सरकारी कुए के पास, बाजार नं. 2, रामगंजमण्डी, जिला कोटा राजस्थान
3– मोहम्मद याकूब आत्मज श्री मोहम्मद अय्यूब, जाति मुसलमान, निवासी हाउसिंग बोर्ड कालोनी, रामगंजमण्डी, जिला कोटा
4– शमीम बानो आत्मजा मोहम्मद अय्यूब, जाति मुसलमान, निवासी रामगंजमण्डी, जिला कोटा
5– छोटी बाई आत्मज मोहम्मद अय्यूब पत्नी अख्तर आलम, जाति मुसलमान, निवासी रामगंजमण्डी, जिला कोटा हाल कुंजडा गली, जेल रोड़, झालावाड
6– शरीफ बानो पत्नी श्री इब्राहिम (मृतक) जर्ये कायम मुकामान :–
6/1– जमील अहमद पुत्र शरीफ बानो
6/2– फिरोज पुत्र शरीफ बानो
6/3– रजिया बानो पुत्री शरीफ बानो
अकवाम जाति मुसलमान, निवासीगण सुकेत, जिला कोटा राजस्थान
7– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पचपहाड़, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2022/133 दायरा दिनांक : 01.08.2022

उनवान

1– नसीर मोहम्मद पुत्र श्री बशीर मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी भवानीमण्डी, (मृतक) जर्ये कायम मुकामान :–
1/1– अन्सार मोहम्मद पुत्र नसीर मोहम्मद
1/2– मोहम्मद इस्हाक पुत्र नसीर मोहम्मद
1/3– मोहम्मद हनीफ पुत्र नसीर मोहम्मद
1/4– वसीम पुत्र नसीर मोहम्मद
1/5– हेमत बी पुत्री नसीर मोहम्मद
अकवाम जाति मुसलमान, निवासीगण भवानीमण्डी, जिला झालावाड

/7/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

2— शब्बीर मोहम्मद पुत्र श्री बशीर मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी भवानीमण्डी, कोटा (मृतक) जर्ये कायम मुकामान :—
2/1— शरीफ मोहम्मद पुत्र शब्बीर मोहम्मद
2/2— अल्ताफ मोहम्मद पुत्र शब्बीर मोहम्मद
2/3— मेहफुजा बानो पुत्री शब्बीर मोहम्मद
2/4— मकसूदा पुत्री शब्बीर मोहम्मद
2/5— नजमा बानो पुत्री शब्बीर मोहम्मद
2/6— परवीन बानो पुत्री शब्बीर मोहम्मद
अकवाम जाति मुसलमान, निवासीगण भवानीमण्डी, जिला झालावाड
3— अब्दुल गफ्फार पुत्र श्री बशीर मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी भवानीमण्डी, जिला झालावाड
4— अब्दुल सत्तार पुत्र श्री बशीर मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी भवानीमण्डी, (मृतक) जर्ये कायम मुकामान :—
4/1— साबिर हुसैन पुत्र अब्दुल सत्तार
4/2— हबीब चौधरी पुत्र अब्दुल सत्तार
4/3— वीना बानो पुत्री अब्दुल सत्तार
4/4— शहनाज बानो पुत्री अब्दुल सत्तार
4/5— सितारा बानो पुत्री अब्दुल सत्तार
4/6— फिरोजा बानो पुत्री अब्दुल सत्तार
4/7— तब्बसूम पुत्री अब्दुल सत्तार
4/8— मुन्नी पुत्री अब्दुल सत्तार
5— जहीरा मोहम्मद पुत्र श्री बशीर मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी भवानीमण्डी
6— रूस्तम मोहम्मद पुत्र श्री बशीर मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी भवानीमण्डी
7— जहूर मोहम्मद पुत्र श्री मोहम्मद नजीर, जाति मुसलमान, निवासी भवानीमण्डी
8— जमील अहमद पुत्र श्री मोहम्मद नजीर, जाति मुसलमान, निवासी भवानीमण्डी
9— शकील पुत्र श्री मोहम्मद नजीर, जाति मुसलमान, निवासी भवानीमण्डी
10— मंजूर आलम पुत्र श्री मोहम्मद नजीर, जाति मुसलमान, निवासी भवानीमण्डी
11— नसीफ आलम पुत्र श्री मोहम्मद नजीर, जाति मुसलमान, निवासी भवानीमण्डी
12— फरीद अहमद पुत्र श्री मोहम्मद नजीर, जाति मुसलमान, निवासी भवानीमण्डी
13— अनीसा पुत्री श्री मोहम्मद नजीर, जाति मुसलमान, निवासी भवानीमण्डी
14— नफीसा पुत्री श्री मोहम्मद नजीर, जाति मुसलमान, निवासी भवानीमण्डी
15— रेहाना पुत्री श्री मोहम्मद नजीर, जाति मुसलमान, निवासी भवानीमण्डी

.... अपीलांट

बनाम

1— रफीक मोहम्मद पुत्र श्री बशीर मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी भवानीमण्डी, (मृतक) जर्ये कायम मुकामान :—
1/1— मोहम्मद जुनेज पुत्र रफीक मोहम्मद
1/2— मोहम्मद अवेस पुत्र रफीक मोहम्मद
1/3— मोहम्मद आसिफ पुत्र रफीक मोहम्मद
1/4— हीना पुत्री रफीक मोहम्मद

22/7/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

1/5– हनीफा पुत्री रफीक मोहम्मद
अकवाम जाति मुसलमान, निवासीगण भवानीमण्डी, जिला झालावाड

2– अब्दुल कय्यूम आत्मज मोहम्मद अयूब, जाति मुसलमान, निवासी सरकारी कुए के पास, बाजार नं. 2, रामगंजमण्डी, जिला कोटा राजस्थान

3– मोहम्मद याकूब आत्मज श्री मोहम्मद अय्यूब, जाति मुसलमान, निवासी हाउसिंग बोर्ड कालोनी, रामगंजमण्डी, जिला कोटा

4– शमीम बानो आत्मजा मोहम्मद अय्यूब, जाति मुसलमान, निवासी रामगंजमण्डी, जिला कोटा

5– छोटी बाई आत्मज मोहम्मद अय्यूब पत्नी अख्तर आलम, जाति मुसलमान, निवासी रामगंजमण्डी, जिला कोटा हाल कुंजडा गली, जेल रोड़, झालावाड

6– शरीफ बानो पत्नी श्री इब्राहिम (मृतक) जर्ये कायम मुकामान :–

6/1– जमील अहमद पुत्र शरीफ बानो

6/2– फिरोज पुत्र शरीफ बानो

6/3– रजिया बानो पुत्री शरीफ बानो
अकवाम जाति मुसलमान, निवासीगण सुकेत, जिला कोटा राजस्थान

7– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पचपहाड़, जिला झालावाड

...... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री सतीश चन्द गुप्ता अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 22.07.2024

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या – 41/दावा/2007 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.05.2007 तथा फाईनल डिक्री दिनांक 07.02.2008 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट नं. 1 रफीक मोहम्मद ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम भवानीमण्डी की जमाबंदी संख्या 95 नई 79 पुरानी खसरा नं. 528 रकबा 03.02 बीघा, खसरा नम्बर 529 रकबा 00.02 बीघा, खसरा नम्बर 530 रकबा 05.03 बीघा, खसरा नम्बर 534 रकबा 00.17 बीघा, खसरा नम्बर 543 रकबा 01.11 बीघा, खसरा नम्बर 544

(ममता कुमारी तिवारी) 22/7/2024
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रकबा 01.09 बीघा, खसरा नम्बर 545 रकबा 02.08 बीघा, खसरा नम्बर 553 रकबा 00.08 बीघा कुल 8 किता कुल रकबा 15 बीघा वादी तथा प्रतिवादीगण के शामलाती खातेदारी में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.05.2007 तथा फाईनल डिक्री दिनांक 07.02.2008 से अपीलांट का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

इस न्यायालय में प्रस्तुत दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय एवं डिकी योग्य अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है, जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी वाके ग्राम भवानीमण्डी जिला कोटा के मामले में वादी एवं प्रतिवादीगण कम 1 से 16 व मृतक शरीफा बानो एवं शहजादी के वारिसान के मध्य बंटवारा करने का एक तरफा आदेश व प्रारम्भिक डिकी पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी रेस्पोडेंट नं. 1/वादी के द्वारा प्रतिवादीगण कम कम 1 से 16 के विरूद्ध ही वाद पेश किया था, मृतक शरीफा बानो एवं शहजादी के विरूद्ध वाद पेश नहीं किया। इसके वारिसान को पक्षकार भी नहीं बनाया। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने शरीफ बानो एवं शहजादी के वारिसान के हक में बंटवारे का आदेश पारित करने में त्रुटि की है। कानूनन जो व्यक्ति वाद में पक्षकार नहीं है और जिसने कोई रिलीफ दावे में नहीं चाही है ऐसे पक्षकार को स्वतः ही कोई सहायता प्रदान नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में इनके हक में कोई आदेश व डिकी पारित नहीं की जा सकती। निर्णय में अंकित शहजादी के वारिसान को रेस्पोडेंट कम 2 बनाया गया है एवं शरीफ बानो के वारिसान को रेस्पोडेंट कम 6 बनाया गया है। वादी मोहम्मद रफीक की मृत्यु हो जाने से एवं प्रतिवादी नसीर मोहम्मद, शब्बीर मोहम्मद, अब्दुल सत्तार, जहीर मोहम्मद फोत हो चुके हैं जिसके कायम मुकामान को अपील में पक्षकार बनाया जाकर अपील प्रस्तुत है। पत्रावली पर ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई है, जिससे विवादित आराजी का पूर्व में बंटवारा होना माना जा सके, लेकिन रेस्पोडेंट वादी का वाद डिकी करने में त्रुटि की है। विवादित आराजी के मामले में सुगरा बानो, मुन्नी बानो व रईसा बानो के द्वारा की गई रिलीज डीड मुस्लिम विधि के विरूद्ध होने उक्त रिलीज डीड अपीलांट के हितों के विरूद्ध बेअसर घोषित होने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने तहसील से प्राप्त अवैधानिक एवं बंटवारे के नियम 18 से 21 के विरूद्ध बनाये गये बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर फाईनल डिकी पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने बंटवारे के नियम 18 से 21 के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया एवं बंटवारा प्रस्ताव रिपोर्ट बनाते वक्त तहसीलदार पचपहाड मौके पर नहीं गये, जबकि कानूनन बंटवारे के नियम के मुताबिक

3/7/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

तहसीलदार को स्वयं को मौके पर जाकर बंटवारा प्रस्ताव तैयार करना था। बंटवारा प्रस्ताव में मृतक शहजादी एवं मृतक शरीफ बानो को भी बंटवारे में जमीन देने का आदेश पारित किया गया है, जबकि मूल वाद में यह पक्षकार नहीं थी, ऐसी स्थिति में फाईनल डिक्री कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।

अतः दोनों अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.05.2007 तथा फाईनल डिक्री दिनांक 07.02.2008 को निरस्त किया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 01.11.2021 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि रेस्पोडेंट क्रम 1 रफीक मोहम्मद के द्वारा वाद के निर्णय में वर्णित विवादित आराजी कुल 8 किता की रकबा 15 बीघा के मामले में धारा 53 राज.टी. एक्ट के तहत प्रस्तुत वाद को दिनांक 31.05.2007 को निर्णय किया गया था और मुताबिक निर्णय एवं डिक्री तहसीलदार पचपहाड से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया गया था एवं तहसील से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 07.02.2008 को बंटवारा प्रस्ताव पर वादी की सहमति मानते हुए बंटवारा प्रस्ताव खाता पृथक पृथक करने बाबत आदेश व फाईनल डिक्री पारित कर दी। बंटवारे के नियम 18 से 21 की ओर कोई उचित गौर नहीं फरमाया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध बंटवारा पत्र से स्पष्ट है कि मौके पर जाने से पूर्व पटवारी हल्का एवं आई.एल.आर. द्वारा अपीलांट को नहीं बुलाया गया, कोई सूचना जारी नहीं की गई। वक्त बंटवारा पत्र मौके पर तहसीलदार, पटवारी मौजूद नहीं थे, बंटवारा पत्र बनाने में बंटवारे के नियम 18 से 21 की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। कानूनन आई.एल.आर एवं पटवारी हल्का बंटवारा पत्र बनाने के लिए सक्षम नहीं है। ऐसे बंटवारा पत्र को अवैधानिक माना गया है। कानूनन बंटवारा पत्र तहसीलदार को मौके पर जाकर तैयार किया जाना

22/7/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आवश्यक है। नजीर आर.आर.टी. 2023 (1) पेज 219, 2022 आर.आर.टी. (2) पेज 988, 2022(1) आर.आर.टी. पेज 390 पर प्रतिपादित किया गया।

बंटवारा पत्र तैयार करने से पूर्व संबंधित पक्षकारों को सूचना देना आवश्यक है एवं तहसीलदार को मौके पर जाना आवश्यक है जैसा कि नजीर आर.आर.टी. 2003(1) पेज 476 पर प्रतिपादित किया गया।

अपीलांट के द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 5 मियाद अधिनियम का भी प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण की मेरिट को देखते हुए एवं न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे। काननून तकनीकी आधार पर एक पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं किया जाना चाहिए एवं अपील का गुणावगुण पर विचार किया जाना चाहिए । इस संबंध में नजीर आर.आर.टी. 2017 (2) पेज 1104 अवलोकनीय है।

नजीर 2006–2007 (सप्ली.) पेज 443 पर प्रतिपादित किया है कि विलम्ब माफ करना न्यायालय का स्वविवेक है। इसी नजीर के पैरा कम 11 पर नजीर ए. आई.आर. 1987 (एस.सी.) पेज 1353 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि न्याय प्राप्त करने के लिए परिसीमा के मामलों में न्यायालयों को लिबरल एप्रोच अपनानी चाहिए। प्रकरण की मेरिट एवं न्यायहित को देखते हुए प्रार्थना पत्र धारा 5 स्वीकार फरमाते हुए अपील के गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावे।

अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.05.2007 तथा फाईनल डिक्री दिनांक 07.02.2008 निरस्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा यह अपील मियाद बाहर पेश की गई उसमें अपील देरी से पेश करने का कोई यथोचित न्यायिक कारण नहीं बताया गया है एवं गलत तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत की गई। अपीलांट क्लीन हैण्ड से न्यायालय के समक्ष अपने तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है। मियाद के बिन्दु पर एक–एक दिन के डिले को साबित किया जाना चाहिए था। अपीलांट द्वारा डिले के सम्बन्ध में किसी प्रकार की साक्ष्य अथवा दस्तावेज पेश नहीं किये हैं और ना ही कोई पर्याप्त कारण अवगत करवाये हैं। ऐसी स्थिति में यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। रेस्पोडेंट के अभिभाषक द्वारा 14 वर्ष के विलम्ब से अपील पेश करने के कारण अपील

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

मियाद बाहर होने से खारिज करने हेतु अनुरोध किया। अपीलांट द्वारा कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय से समन की तामील नहीं होने के कारण विलम्ब का शमन किया जावे। धारा 5 के प्रार्थना पत्र में अपीलांट द्वारा कथन किया गया है कि अपीलांट विवादित आराजी के मामले में अन्य अपील में कोटा वकील साहब से मिले, तब उन्हें दिनांक 31.05.2007 की प्राथमिक डिक्री एवं दिनांक 07.02.2008 की फाईनल डिक्री की जानकारी मिली।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आदेशिका दिनांक 07.02.2008 में उल्लेखित एवं पत्रावली में सलंग्न बंटवारा रिपोर्ट पर अपीलांट के हस्ताक्षर होने से यह तथ्य स्पष्ट है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी 2008 से ही थी। अपीलांट के द्वारा विवादित आराजी के मामले में अन्य अपील का कथन किया गया है लेकिन उस अपील का कोई विवरण न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया, साथ ही 13 वर्ष के विलम्ब का कोई कारण नहीं बताया गया। यदि 13 वर्ष के विलम्ब के पश्चात अपील पेश की गई है तो अपीलांट को विलम्ब का समुचित कारण बताना होगा लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में कोई भी कारण अपीलांट द्वारा नहीं बताया गया। अपीलांट का मात्र यह कथन है कि वकील साहब द्वारा दिनांक 01.11.2021 को निर्णय की जानकारी दी गयी, यह समुचित एवं पर्याप्त कारण नहीं है। मियाद के सम्बन्ध में एक–एक दिन के डिले को साबित नहीं किया है, जबकि मियाद के बिन्दु पर एक–एक दिन के डिले को साबित किया जाना चाहिए था। अपीलांट द्वारा डिले के सम्बन्ध में किसी प्रकार की साक्ष्य अथवा दस्तावेज पेश नहीं किये हैं और ना ही कोई पर्याप्त कारण अवगत करवाये हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आदेशिका दिनांक 07.02.2008 में उल्लेखित एवं पत्रावली में सलंग्न बंटवारा रिपोर्ट पर अपीलांट के हस्ताक्षर से अपीलांट को जानकारी वर्ष 2008 से होना प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील सारहीन होने से मियाद अधिनियम की धारा 5 के बिन्दु पर खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले अपील संख्या 2022/131 एवं 2022/132 प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के बिन्दु पर ही खारिज की जाती हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22/7/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा